समक्षः- न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर, केम्प, संभाग, सागर म0प्र0

जिला-पन्ना

R. 549-III/14

चंदीलाल तनय श्री रामकुमार

निवासी- ग्राम पलटा, हाल निवासी- ग्राम कल्याणपुर,

तहसील गौरीहार, जिला छतरपुर म0प्र0

-- आवेदक/ अपीलार्थी/ पुनरीक्षणकर्ता

B.O.R.

31 DEC 2013

// विरूद्ध //

मृतक भजना तनय श्री हजारी कोरी के वारसान-

(1) रामरतन उम्र करीब 60 साल तनय स्व0 श्रीभजना कोरी

(2) रजवा उम्र करीब 55 साल तनय स्व0 श्री भजना कोरी

दोनो निवासीगण ग्राम कल्याणपुर, तहसील गौरिहार,

जिला छतरपुर म0प्र0 -- अनावेदकगण/ प्रतिअपी0गण

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

10
25-1-14

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता के तहत्

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक/ अपीलार्थी माननीय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर अपील प्रकरण क्रमांक 493/ अ- 19/ 04-05 में दिनांक 18-11-2013 को एवं प्र0क्र0 130/अ- 19/13/14 में पारित आदेशों से दुः खित होकर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर निवेदन करता है किः-

// प्रकरण के तथ्य //-

(1) यहकि, पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय अपर कलेक्टर महोदय जिला पन्ना के प्र0क्र0 116/ स्व.पं.जि0/ अ-19(4) सन् 94-95 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2005 से दुःखित होकर धारा-50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा वारसान रिकार्ड पर न लाने के कारण दिनांक 18/11/2013 के आदेशानुसार निरस्त कर दिया, जिसके आधार पर माननीय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष आवेदक/ अपीलार्थी/ पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा एक आवेदन पत्र आदेश- 22 नियम-9 एवं 4 तथा धारा- 151 सी.पी.सी. तथा धारा 32 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत किया जिसका नि0प्र0क्र0 130/अ-19/13-14 था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2013 के आदेशानुसार निरस्त

Through

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.S. 491/III/15 .... जिला छतरपुर ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/09/15	प्रकरण में आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना पत्र भेजे गये किन्तु सूचना पत्र बाद तामील वापिस प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण ग्राह्यता पर सुनवाई हेतु नियत था। जो अनावश्यक रूप से ग्राह्यता के स्तर पर लंबित है। प्रकरण में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य विवाद इस न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 4-12-13 से वारिसान को रिकार्ड पर लेने संबंधी धारा 32 के आवेदन को निरस्त करने से संबंधित है। निगरानी मेमो में आवेदक द्वारा अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 4-12-13 का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त का आदेश निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के प्रकाश में मौन है जबकि अपर आयुक्त को संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन में न्यायहित में बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 4-12-13 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश-22 नियम-9 एवं 4 तथा धारा 151 सी०पी० सी० तथा धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता	

R-549/III/14 पत.क्र.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
M	के आवेदन पत्र के संबंध में विधि में निहित प्रावधानों के अनुसरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को जीवित रखते हुए विधि अनुकूल तथा नियमानुसार बोलता हुआ आदेश पारित करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (सदस्य)	

6

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.